



न्यायालय : अपर सिविल जज (जू0 डि0) कोर्ट सं0 31, प्रतापगढ़ ।

उपस्थित : - प्रदीप यादव ((उ0 प्र0 न्यायिक सेवा))

ID- UP3606

मूल वाद सं0 : 949/2017

1. सोमप्रकाश उप्र लगभग 58 साल सुत रामअधार निवासी ग्राम तिवारीपुर मजरे कन्धई मधुपुर पोस्ट साल्हीपुर पर0तह0पट्टी जनपद- प्रतापगढ़।

...वादी

बनाम

1. श्रीमती कलावती आयु लगभग 40 साल पत्नी शशि प्रकाश निवासी ग्राम डडारी पोस्ट हरदासपुर जिला सुल्तानपुर।

...प्रतिवादिनी

एकपक्षीय निर्णय

वादी सोमप्रकाश द्वारा यह वाद प्रतिवादिनी श्रीमती कलावती के विरुद्ध वास्ते निरस्तीकरण प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांकित 05.06.2017 योजित किया गया है।

संक्षेप में वादी का कथन यह है कि वादी ग्राम तिवारीपुर मजरे कन्धई मधुपुर परगना व तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। प्रतिवादिनी के पति शशि प्रकाश बहुत ही चलाक किस्म के व्यक्ति हैं। दिनांक 06.08.2007 को प्रतिवादिनी के पति ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र जवरिया पिता से रजनीश वर्मा के पक्ष में कराकर पैसा लेकर चले गए। जो प्रतिफल सहित है। जिसका जिल्द संख्या 2292 है। प्रतिवादिनी व उसका पति अपने परिवार के साथ ग्राम डडारी पोस्ट हरदासपुर जनपद सुल्तानपुर में रहने लगी। भूखंड संख्या 651 स्थित ग्राम कन्धई मधुपुर परगना तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में वादी के पिता का अंश 1/6 मात्र व वादी के हिस्से की भूमि अवशेष है, संपूर्ण भूमि पैतृक है वादग्रस्त भूमि जो तथाकथित विक्रय शुदा है जिसका उपभोग वादी अपने पूर्वजों के जमाने से करता चला आ रहा है। प्रतिवादिनी व अन्य किसी और का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता सरोकार, कब्जा व दखल नहीं है। वाद के निस्तारण हेतु वादी व प्रतिवादिनी की वंशावली इस प्रकार है:-

मिखई

रामाधार मृतक दिनांक 15.06.2017

सोन प्रकाश
(वादी)

शशि प्रकाश
कलावती देवी पत्नी शशि प्रकाश
(प्रतिवादिनी)

वादी के पिता रामअधार जिनकी आयु लगभग 95 वर्ष थी, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, हस्ताक्षर करते थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, सोचने समझने की क्षमता नहीं रही थी। वादी के परिवार के साथ रहते थे उनकी खानपान व सेवा शुरू से ही वादी के परिवार द्वारा ही की जाती रही है। वादी तिलसिले रोजी-रोटी शहर जलंधर पंजाब में रहता था। वृद्ध पिता की सेवा वादी की पत्नी व दोनों द्वारा बराबर की जाती रही है। जिनकी मृत्यु दिनांक 15.06.2017 को सदमा लगने से हो गई। जिनका क्रिया कर्म भी वादी द्वारा ही किया गया। वादी को गांव वालों से अफवाहन पता चला कि दिनांक 05.06.2017 को जब वादी का परिवार बाहर निमंत्रण में चला गया था तो उसी समय शशि प्रकाश अपनी पत्नी कलावती के साथ चार पहिया वाहन से आए और पिता की दवा कराने हेतु पट्टी ले गए, जहां पर उनके द्वारा कोई दवा नहीं कराई गई, बल्कि अस्वस्थ पिता को जो दिनागी रूप से अस्वस्थ थे, तहसील पट्टी में ले जाकर फर्जी तौर पर दिना किसी आधार के जाल फरेद करते हुए उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति को खड़ा करके अपनी पत्नी के नाम कोई फर्जी दस्तावेज जो मात्र नुमाइशी है तैयार करा कर बिना किसी प्रतिफल के व अधिकार के अन्य व्यक्तियों को खड़ा करके पिता की फर्जी फोटो लगाकर अपनी पत्नी के नाम विक्रय पत्र रजिस्ट्री करा दिया। वादी के पिता के हस्ताक्षर विक्रय पत्र नहीं हैं ना ही उनकी फोटो हैं। जानकारी होने पर सदमा व दीमारी से दिनांक 15.06.2017 को उनकी मृत्यु हो गई। उल्लंघन विक्रय पत्र में दर्शित गवाह शशि प्रकाश पति प्रतिवादिनी व प्रतिवादिनी के मेली मददगार हैं, जो वादी के पिता को दिए गए धोखे में शामिल हैं जबकि पूर्व के विक्रय पत्र में पिता वादी के हस्ताक्षर हैं। उल्लंघन विक्रय पत्र ग्राम कंधई नधुपुर परगना तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की भूमि भूखंड संख्या 651 में 0.152 हेक्टेक्टर में वादी के पिता का भाग 1/6 भाग है जो कि 0.025 (1/3) है जो कि विक्रित है औहदी पूरद - खेत गुल्वरण, पक्षिम खेत रवि प्रकाश, उत्तर खेत रजनीश, दक्षिण क्षेत्र रवि प्रकाश से संबंधित है। दैनांने में वर्णित भूमि जो पैतृक है, वादी के पिता

को विक्रय पत्र लिखने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त ही नहीं है। भूमि पूर्वजीय है। विक्रय पत्र जो दिनांक 05.06.2017 को उपनिबंधक महोदय पट्टी के यहां पेश किया गया। जिसका दस्तावेज नंबर 2219 खंड सं0 03977 के पेज सं0 103/122 पर अंकित है। ग्राम कंधई मधुपुर परगना तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की भूमि है। उपरोक्त दस्तावेज जो पैतृक भूमि से संबंधित है, को लिखने का अधिकार विधिक रूप से वादी पिता रामाधार को नहीं था और ना ही प्रतिवादिनी को कोई दस्तावेज पैतृक भूमि के संबंध में लिखाने का विधिक अधिकार ही प्राप्त है, ना ही उपरोक्त दस्तावेज पर वादी के पिता के हस्ताक्षर हैं। विक्रय शुदा भूमि का कोई प्रतिफल पिता वादी को नहीं प्राप्त है, जो प्रतिफल रहित है। ऐसी दशा में वादी के अंश की भूमि का विक्रय लिखाने का विधिक अधिकार नहीं है। दस्तावेज पर वादी पिता की निशान अंगूठा फर्जी है, हस्ताक्षर नहीं है लगी हुई फोटो धोखे से कहीं से प्राप्त कर ली गई है। संबंधित उपनिबंधक महोदय को फर्जी दस्तावेज बिना जांच पड़ताल के रजिस्ट्री कृत करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त वर्णित कारणों से प्रतिवादी द्वारा लिखा गया दस्तावेजों उप निबंधक कार्यालय पट्टी प्रतापगढ़ में दिनांक 05.06.2017 को रजिस्ट्री कृत है, निरस्त होने योग्य है। विवरण वादग्रस्त निरस्तीकरण दस्तावेज जो ग्राम कंधई मधुपुर परगना तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की भूमि भूखंड संख्या 651 में 0.152 हेंड में वादी के पिता का मात्र 1/6 भाग है जो कि 0.025 (1/3) है जो कि विकृत है चौहड़ी पूरब - खेत गुरुचरण, पश्चिम खेत रवि प्रकाश, उत्तर खेत रजनीश, दक्षिण क्षेत्र रवि प्रकाश से संबंधित है। न्यायालय को वर्तमान वाद निस्तारण का क्षेत्र अधिकार है एवं वाद का उचित मूल्यांकन कर प्रदत न्याय शुल्क न्यायालय समक्ष दाखिल किया गया है। वादग्रस्त भूमि भूमिधरी खाते में अंकित है। वादी के पक्ष में प्रतिवादीनी में के विरुद्ध विक्रय पत्र निरस्तीकरण की डिक्री पारित करते हुए विक्रयपत्र दिनांक 05.06.2017 जो उपनिबंधक महोदय तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के यहां दस्तावेज नंबर 2219 खंड संख्या 03977 पेज संख्या 103/122 अंकित है, जो ग्राम कंधई मधुपुर परगना तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ की भूमि खंड संख्या 651 से संबंधित है और उपनिबंधक महोदय पट्टी प्रतापगढ़ के यहां दिनांक 05.06.2017 फर्जी तरीके से रजिस्ट्रीकृत है य वाद के कब्जे की भूमि है, को निरस्त करने की कृपा करें। दस्तावेज निरस्तीकरण की सूचना उपनिबंधक महोदय पट्टी प्रतापगढ़ को भी दी जाए। खर्च मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाए। अन्य उपषम जिसका अधिकारी वादी न्यायालय के समक्ष पाया जाए, दिलाया जावे।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में तथा अपना पक्ष साबित किए जाने हेतु प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त दस्तावेज 8 ग 1/1 से कागज संख्या 9 ग 1/1 लगायत 9 ग 1/11 प्रश्रगत बैनामा दिनंकित 05.06.2017 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या 10 ग 1/1 सत्यप्रतिलिपि खतौनी फसली वर्ष 1419-1424, कागज संख्या 25 ग 1 सत्यप्रतिलिपि नकल परिवार रजिस्टर व फेहरिस्त दस्तावेज 14 ग 1 से कागज संख्या 15 ग 1/1 लगायत 15 ग 1/13

सत्यप्रतिलिपि बैनामा दिनांकित 06.08.07 बाबत भूखंड संख्या 655 भूमि स्थित ग्राम कंधई मधुपुर पट्टी जनपद प्रतापगढ़ व सत्य प्रतिलिपि बैनामा दिनांकित 13.06.07 बाबत भूमि भूखंड संख्या 23 ग्राम घोरकटा परगना व तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़, न्यायालय के अवलोकनार्थ पत्रावली पर दाखिल की गई।

मौखिक साक्षण के रूप में वादी की ओर से वादी शोम प्रकाश द्वारा PW 1 के रूप में स्वांग का साक्षण शपथ पत्र 22 क 2/1 लगायत 22 क 2/4 पत्रावली पर दाखिल किया गया।

दौरान वाद प्रतिवादिनी न्यायालय हाजिर नहीं आई और ना ही प्रतिवादिनी की ओर से अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया तथा विस्ती प्रकार का कोई साक्षण भी दाखिल नहीं किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादिनी के लिए पैरती जरिए समान व रजिस्ट्री भी की गई। उसके बावजूद भी प्रतिवादिनी लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रही। दिनांक 27.04.18 को तामिला पर्याप्त माना गया एवं दिनांक 07.02.2019 को प्रतिवादिनी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाही न्यायालय द्वारा अग्रसारित की गई।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस प्रकार वादी का यह कहना है की प्रतिवादिनी के पति अपने हिस्से की भूमि का बैनामा दिनांक 06.08.2007 को रजनीश वर्मा के पक्ष में कराकर पैसा लेकर चले गए। भूखंड संख्या 651 स्थित ग्राम कंधई मधुपुर परगना तहसील पट्टी जनपद जनपद प्रतापगढ़ में वादी के पिता का अंश 1/6 मात्र व वादी के हिस्से की भूमि अवशेष रही है। संपूर्ण भूमि पैतृक है उक्त भूमि का उपयोग वादी अपने पूर्वजों के जमाने से करता चला आ रहा है, अन्य विस्ती से य प्रतिवादिनी से कोई वास्ता व सरोकार भूमि से नहीं है और ना ही प्रतिवादिनी या अन्य विस्ती का कोई काल्जा दखल ही है। प्रतिवादिनी अपने पति के साथ ग्राम डडारी पोस्ट हरदासपुर जनपद सुल्तानपुर में अरसा पूर्व से मकान बनाकर निवास करने लगी। वादी के पिता रामअधार पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो हस्ताक्षर करते थे, उनकी आयु लगभग 95 वर्ष थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, सोचने समझने की क्षमता नहीं रही थी, वादी के पिता सदैव वादी के परिवार के साथ रहते थे, उनके खान-पान की सेवा वादी के परिवार द्वारा ही की जाती थी। वादी बसिलसिले रोजी-रोटी शहर जलंधर पंजाब में रहता था। वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 15.06.2017 को सदमा लगने से हो गई, जिनका क्रिया कर्म वादी द्वारा किया गया। वादी को अफवाहन पता चला कि जब आपका परिवार दिनांक 05.06.2017 बाहर निमंत्रण में चला गया था तो उसी समय शशि प्रकाश अपनी पत्नी कलावती के साथ चार पहिया वाहन से आए और पिताजी की दयाई कराने हेतु ले गए जहां पर उनके द्वारा कोई दया नहीं कराई गई बल्कि अस्वस्थ्य पिता को

जो दिमागी रूप से अस्वस्थ थे, तहसील पट्टी में ले जाकर फज्जी तौर पर बिना किसी आधार के जाल फरेब करते हुए उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति को खड़ा करके अपनी पत्नी के नाम कोई फज्जी दस्तावेज जो मात्र नुमाइशी है तैयार कराकर बिना किसी प्रतिफल व अधिकारों के अन्य व्यक्तियों को खड़ा करके पिता की फज्जी फोटो लगाकर अपने पत्नी के नाम विक्रय पत्र रजिस्ट्री करा दिया। विक्रय पत्र में गवाह शशि प्रकाश व प्रतिवादिनी के मेली मददगार है, जो वादी के पिता को दिए गए धोखे में शामिल है। वादी के पिता को उपरोक्त विक्रय पत्र लिखने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भूमि पूर्वजीय है। पूर्व के विक्रय पत्रों में वादी के पिता के हस्ताक्षर हैं, जबकि विवादित विक्रय पत्र दिनांकित 05.06.2017 में वादी के पिता के अंगूठे का निशान है। वादी के पिता के अंगूठे के निशान उक्त विक्रयपत्र पर फज्जी हैं और लगी हुई फोटो फज्जी है जो धोखे से कहीं से प्राप्त कर ली गई है। वादी के पिता को ऐसे की कोई आवश्यकता नहीं थी। उक्त विक्रय पत्र बिना प्रतिफल का है, ऐसी दशा में गैर मुआवजा विक्रय पत्र मात्र नुमाइशी छल कपट से परिपूर्ण है। प्रश्नगत दैनामा अवैध दस्तावेज है इसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह भी कथन किया गया है कि वादी के पिता पढ़े-लिखे व्यक्ति वे एवं हस्ताक्षर करना जानते थे, परंतु प्रश्नगत दैनामा दिनांकित 05.06.2017 में वादी के पिता के अंगूठे के निशान हैं जबकि अन्य दैनामे दिनांकित 06.08.07 व 13.06.07 जोकि वादी के पिता द्वारा अन्य भूमि के संदर्भ में किए हैं उन पर वादी के पिता के हस्ताक्षर एवं निशानी अंगूठा अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 25 ग 1 सत्य प्रतिलिपि नकल परिवार रजिस्टर में भी वादी के पिता को साक्षर होना उल्लेखित किया गया है जिससे यह सामित होता है कि वादी के पिता साक्षर व्यक्ति थे एवं हस्ताक्षर बनाना जानते थे। कागज संख्या 10 ग 1 सत्य प्रतिलिपि उद्धरण खत्तीनी में भी वादी के पिता रामअधार का नाम अंकित है। प्रतिवादिनी का नाम अंकित नहीं है। वादी द्वारा उपरोक्त प्रलेखिए साक्ष्य के अलावा मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिवादिनी द्वारा उक्त साक्ष्य शपथ पत्र के विरुद्ध कोई काउंटर शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया। इस संबंध में कुछ विधि व्यवस्थाएं उल्लेखनीय हैं। “श्रीमती उमिला गुप्ता बनाम रमेश चंद्र त्रिपाठी एवं अन्य, 2008 (73) ALR 683” में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बैच द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि “since no counter affidavit has been filed, this Court is treating the averments made in the writ petition as uncontroverted in the view of the decision of countable supreme Court in “Choksi Tube Company Limited versus Union of India 1997 (11)SCC 179, and “Naseem Bano vs State of UP and others 1993 (22) ALR 307 (sc)”. Wherein the apex court has laid down the law that variable taken is not controverted in reply, it amounts to admission of the plea”. अन्य मुख्य नजीर राजीव

लोचन पांडे बनाम जिला जज इलाहाबाद एवं अन्य 656 R.D., C.M.W.P.NO. 18655 of 1998, decided on may 26 , 1998 ", में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिधारित किया गया है कि" if evidence of affidavit remained unrebutted the court can process on that basis and can accept it."

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध वादी के अभिलेखीय प्रपत्र व अन्य दस्तावेज जोकि आवश्यक साक्ष्य शपथ पत्रों से भी समर्थित है, वादी का यह वाद साबित होता है जिस कारण यह साबित होता है कि वादी विवादित भूमि ग्राम कंधई मधुपुर परगना तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की भूमि भूखंड संख्या 0651 मे 0.152 हेठली पूरव - खेत गुरुचरण, पश्चिम खेत रवि प्रकाश, उत्तर खेत रजनीश, दक्षिण क्षेत्र रवि प्रकाश पर काबिज दखील है। प्रतिवादिनी का इस विवादित भूमि से किसी प्रकार को कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और इसी कारण प्रतिवादिनी द्वारा इस विवादित भूमि का किया गया पंजीकृत बैनामा दिनांकित 05.06.2017 एक अवैध व शून्य दस्तावेज है जो निरस्त किए जाने योग्य है। फलस्वरूप दावा वादी एकपक्षीय रूप से सत्य डिक्री किया जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी एकपक्षीय रूप से सत्य डिक्री किया जाता है।

प्रश्नगत दस्तावेज बैनामा दिनांक 05.06.2017 जो दस्तावेज नंबर - 2219 खंड संख्या 03977 पेज संख्या 103/122 अंकित है, को अवैध एवं शून्य घोषित किया जाता है और निरस्त फरमाया जाता है।

इस निर्णय की प्रति उपनिबंधक तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को अंदर सप्ताह आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रेषित की जावे।

दिनांक: 12.03.2021
स्थान- प्रतापगढ़।

(प्रदीप यादव)
अपर सिविल जज (जू0 डिं0)
कक्ष सं0 31, प्रतापगढ़।

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक: 12.03.2021
स्थान- प्रतापगढ़।

(प्रदीप यादव)
अपर सिविल जज (जू0 डिं0)
कक्ष सं0 31, प्रतापगढ़।

Prepared by
Clerk Surendra Pandey

Checked by
Reader Amitabh Verma

(Pradeep Yadav)
Addl. Civil Judge(J.D),
Court No.31, Pratappgarh.